



रजि. नं. एम. डब्लू./एन०. पी. 898

साइसंस्त नं० डब्लू० पी०-41

साइसंस्त नं. पी० ए० डब्लू० ए०

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 27 जुलाई, 1998

श्रावण 5, 1920 शक संभवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1412/सत्रह-वि०-1-1 (क) 10/1998

लखनऊ, 27 जुलाई, 1998

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998 पर दिनांक 25 जुलाई, 1998 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1998 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1998

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1998)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 23
सन् 1980 की
धारा 5 का संशो-
धन

2--उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 5 में, शब्द और श्रृंखला "दिनांक एक जून, 1997 से पचासी हजार रुपये प्रति वर्ष से अनधिक" के स्थान पर शब्द और श्रृंखला "दिनांक पहली जून, 1990 से 15 अगस्त, 1991 तक की अवधि के लिए पैंतालीस हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक; दिनांक 16 अगस्त, 1991 से पहली मई, 1994 तक की अवधि के लिए चौवन हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक; दिनांक 2 मई, 1994 से 31 मई, 1997 तक की अवधि के लिए पैंसठ हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक और दिनांक पहली जून, 1997 से पचासी हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक" रख दिये जायेंगे।

राजा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1412(2)/XVII-V-1—1 (KA) 10-1998

Dated Lucknow, July 27, 1998

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Raja Vidhan Mandal (Sadsyon Ki Upalabdhiyan Aur Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1998 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 27 of 1998) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 25, 1998.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 1998

(U. P. Act No. 27 of 1998)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1998.

Amendment of
section 5 of U.P.
Act no. 23 of
1980

2. In section 5 of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, for the words and figures "not exceeding eighty-five thousand rupees per annum from June 1, 1977," the words and figures "not exceeding forty-five thousand rupees per annum for the period from June 1, 1990 to August 15, 1991, not exceeding fifty-four thousand rupees per annum for the period from August 16, 1991 to May 1, 1994, not exceeding sixty-five thousand rupees per annum for the period from May 2, 1994 to May 31, 1997 and not exceeding eighty-five thousand rupees per annum from June 1, 1997" shall be substituted.

By order,
YOGENDRA RAM TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.